

प्रेस नोट दिनांक- 29.06.2021

इटावा पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड करते हुए 01 अभियुक्त को 03 अवैध रिवाल्वर 32 बोर, 02 अवैध तमंचा, 01 अवैध अर्द्धनिर्मित पिस्टल व 30 अवैध कारतूस व अवैध असलाह बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया।

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा0 श्री बृजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड करते हुए 01 अभियुक्त को 03 अवैध रिवाल्वर 32 बोर, 02 अवैध तमंचा, 01 अवैध अर्द्धनिर्मित पिस्टल व 30 अवैध कारतूस व अवैध असलाह बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

जनपद में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा0 श्री बृजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार समस्त जनपद में एक विशेष चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों एवं थानाप्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 28.06.2021 को थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि एक व्यक्ति मटरमील के पास अवैध असलहा लिए खडा किसी का इन्तजार कर रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर 01 व्यक्ति को मटरमील के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त का नाम- पता पूछने उसने अपना नाम गोलू उर्फ अक्षय पुत्र सुरेश कुमार निवासी कटरा शमशेर खॉ थाना कोतवाली इटावा बताया।

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 03 अदद रिवाल्वर 32 बोर, 02 अदद तमंचा, 01 अवैध अर्द्धनिर्मित पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस बरामद किया गया।

पुलिस पूछताछ- गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद अवैध शस्त्रों के लाइसेंस मार्गें जाने पर अभियुक्त लाइसेंस दिखाने में असमर्थ रहा तथा पुलिस द्वारा बरामद अवैध शस्त्रों के संबंध में कड़ाई से पूछताछ की गयी तो गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं कोकपुरा के पीछे माधव कुंज आवासीय कालोनी में बनी एक पुराने खंडर पडी कोठरी में अवैध शस्त्रों की मरम्मत कर बिक्री करता हूँ। मेरे द्वारा पुराने अवैध शस्त्रों को कम कीमत पर खरीदकर उनकी मरम्मत कर उनको ग्राहक मिलने पर अच्छी कीमत पर बेच कर धन लाभ कमाता हूँ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पर मु0अ0स0 249/21 धारा 5/7/25 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. गोलू उर्फ अक्षय पुत्र सुरेश कुमार निवासी कटरा शमशेर खॉ थाना कोतवाली जनपद इटावा

बरामदगी-

1. 03 अदद रिवाल्वर 32 बोर
2. 02 अदद तमंचा
3. 01 अद्धनिर्मित खुले हुए पार्टों में पिस्टल
4. 30 जिंदा कारतूस
5. 01 पाइप रिंच
6. 01 हथौड़ी
7. 02 पेचकस
8. 02 प्लास
9. 01 सडासी
10. 02 रेती
11. 01 आरी लोहा काटने वाली
12. 01 पुडिया में एल्यूमिनियम

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 249/21 धारा 5/7/25 आर्म्स एक्ट थाना फ्रेंड्स कालोनी जनपद इटावा ।

पुलिस टीम- श्री उपेन्द्र सिंह थाना प्रभारी फ्रेंड्स कालोनी , व0उ0नि0 श्री रमाशंकर उपाध्याय, उ0नि0 श्री रामप्रताप सिंह , उ0नि0 इमरान फरीद, हे0का0 नीरज कुमार, का0 पुष्पेन्द्र कुमार

नोट- उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 15000 /- रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गयी है

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा